भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3537

जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2021 को दिया जाना है

यूरेनियम बहिस्रावों का रिसाव

3537. श्री विनसेंट एच. पाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेघालय के दूर-दराज के गांव में स्टोरेज टैंक से यूरेनियम बहिस्राव का रिसाव हुआ था और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि भारतीय यूरेनियम निगम द्वारा रिसाव लोगों के लिए हानिकारक है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ.जितेंद्र सिंह) :

(क) जी, हां । सरकार को नॉंगबाह जिनरिन (डॉमियासिएट), दक्षिणी-पश्चिमी खासी हिल्स, मेघालय में रिपॉजिटरी टैंकों में तथाकथित विस्फोट और क्षति के संबंध में दिनांक 21.09.2020 को समाचार पत्र और सोशल मीडिया में प्रकाशित समाचार के बारे में जानकारी है । तत्पश्चात् परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र, शिलांग के वैज्ञानिक अधिकारियों और तकनीकी स्टाफ की टीम ने रिपॉजिटरी टैंकों की तथाकथित क्षति का निरीक्षण करने के लिए दिनांक 25.09.2020 को स्थल विशेष का दौरा किया, यह निरीक्षण पुलिस उप-अधीक्षक, दक्षिणी-पश्चिमी खासी हिल्स, शिलांग, मॉकर्वट की उपस्थिति में हुआ । टीम ने निम्नलिखित बातें पाई :

- जैसा कि कहा गया था, रिपॉजिटरी टैंकों में कोई विस्फोट नहीं था ।
- टीम ने पाया कि कुछ लोगों ने रिपॉजिटरी टैंकों को ढकने वाले ऊपरी स्लैप पर छेद किए थे ।
- विकिरण संसूचन यंत्रों से विस्तृत निरीक्षण के बाद, टीम ने इन टैंकों से कोई हानिकारक विकिरण रिसाव/सीपेज रिकार्ड नहीं किया ।

रिपॉजिटरी टैंकों की लोगों द्वारा की गई क्षति के मरम्मत कार्य का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए, टीम ने दिनांक 07.10.2020 को स्थल विशेष का दौरा किया । रिपॉजिटरी टैंक मरम्मत हो गए थे और इन टैंकों की रेडियोसक्रियता स्तर का पुनः मापन किया गया और इसे अनुज्ञेय सीमा से कम रिकार्ड किया गया । रेडियोसक्रिय सामग्री का कोई रिसाव नहीं था ।

स्थल विशेष के पास के जल निकायों से पांच (05) जल के नमूने एकत्रित किए गए जिसके विश्लेषण के दौरान <1.0ppb यूरेनियम पाया गया । इससे पुष्टि होती है कि जल निकायों और आस-पास के क्षेत्रों में यूरेनियम का कोई रिसाव या संदूषण नहीं था ।

(ख) जी, हां । सरकार/परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) ने झारखंड और आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वर्तमान में प्रचालनरत यूरेनियम खनन में अन्तरराष्ट्रीय मानक की सर्वश्रेष्ठ संरक्षा प्रणाली अपनाई है । यूसीआईएल के सभी प्रचालनों का विभिन्न सांविधिक और नियामक निकायों अर्थात् परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी), स्वास्थ्य भौतिकी इकाई (एचपीयू), खान संरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) इत्यादि द्वारा समय-समय पर प्रायः मॉनीटरन किया जा रहा है ।

* * * * *